कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत जनपद बागपत

पंत्राक 141 /2017–2018/मुख्य कार्यालय दिंनाक– 14 जून 2017

"अल्पकालीन निविदा सूचना"

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या एम0एम0एम0यू0/440/39(1)/2016 दिनांक 07–04–2017 में दिये गये निर्देशों एंव पत्र सं0–एस0एस0एम0यू0/378/2016/4033/नौ–5–2016/257 बजट/2016 दिनांक 27–12–2016 द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त के अनुपालन में अटल मिशन फार रिजूवेशन एण्ड अर्बन टास्कफोर्स (**AMRUT**) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत आवास विकास कालोनी में स्थित भगत सिंह पार्क एवं पानी की टंकी वाला पार्क का सौन्दर्यकरण कार्य किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्माण कार्य की निविदाऐं नगर पालिका परिषद बडौत/लोक निर्माण विभाग बागपत एंव अन्य सरकारी विभागों में पजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निम्नलिखित नियम व शर्तो के अधीन दिनांक 28–06–2017 को समय 4:00 बजे तक नगर पालिका परिषद बडौत के निर्माण विभाग एवं अपर जिलाधिकारी बागपत/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बागपत के कार्यालय तथा उपजिलाधिकारी बडौत के कार्यालय में रखी सीलबंद निविदा पेटिका में 02 बिड सिस्टम से आमंत्रित की जाती है। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 29–06–2017 को सांय 4:30 बजे निविदादाताओं के समक्ष कलेक्ट्रेट बागपत स्थित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बागपत एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बडौत द्वारा खोली जायेगी। तकनीकी बिड में क्वालीफाई होने वालें ठेकेदारों/फर्मो की वित्तीय बिड खोलने की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी। निविदाओं की बिकी दिनांक 27–06–2017 को कार्यालय अवधि प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक नगर पालिका परिषद बडौत के निर्माण विभाग प्रभारी अधिकारी एंव अपर जिलाधिकारी बागपत/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बागपत के कार्यालय में की जायेगी। अमृत योजनान्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुरूप निविदा प्रकिया में 04 अलग–अलग सीलबंद लिफाफों का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें से लिफाफा "ए" का प्रयोग धरोहर धनराशि के लिए लिफाफा "बी" का प्रयोग तकनीकी निविदा के लिए लिफाफा "सी" का प्रयोग वित्तीय निविदा के लिए होगा एवं लिफाफा एबीसी एक बडे लिफाफें "डी" में रखकर निविदा प्रस्तुत किये जाने के समक्ष सीलबंद लिफाफा करकें निविदा बांक्स में डाला जायेगा। तकनीकी निविदा के परीक्षणोंपरान्त कुल 1000 अंकों से न्यूनतम 600 अंक प्राप्त करने वालें निविदाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। किन्ही कारणंवश उक्त तिथि मे अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस माना जायेगा। निविदा नोटिस को जिले की वेबसाइट **http/ www.bagpat.nic.in** पर भी देखी जा सकती है।

क0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)			02 (दो) प्रति शत धरोहर धन राशि (रू0 लाख में)	निविदा मूल्य (रू0)	4 (चार) प्रतिशत व्यापार कर (रू0 लाख में)	व्यापार कर सहित निविदा (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने का समय	ठेके दार की श्रेणी
		प्रोजेक्ट	ओ एण्ड एम	योग						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आवास विकास कालोनी में भगत सिंह पार्क के सौन्दर्यकरण का कार्य।	21.48	2.039	23.519	0.47	2150	0.86	22.36	03	ए–क्लास

2	आवास विकास कालोनी में स्थित पानी की टंकी वालें पार्क में सौन्दर्यकरण का कार्य।	35.91	3.335	39.245	0.78	3600	1.44	37.44	03 माह	ए–व लास

नियम व शर्तें :–

1–फाईनेन्सियल/कामर्शियल बिड

1– निविदा डालते समय उपरोक्त अंकित 2 प्रतिशत धरोहर निविदा फार्म के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रूप में जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बडौत के नाम बंधक हो निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही शासन द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करने एंव निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किये जाने के बाद ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। अन्य राजकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदार की निविदा न्यूनतम होने की दशा में उस निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा। अन्यथा कार्य स्वतः निरस्त माना जायेगा।

2– निविदा केवल प्रतिशत दर पर ही मान्य होगी तथा बिना कारण बतायें निविदा निरस्त करने का अधिकार शासन/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बडौत में निहित होगा। सशर्त निविदायें किसी भी दशा में स्वीकार नही होगी।

3– कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बागपत एवं उपजिलाधिकारी बडौत से निर्धारित मूल्य देकर कय किये गये निविदा फार्म पर ही समस्त निविदायें स्वीकार की जायेगी।

4– निविदा के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र (निर्धारित समयावधि के अन्दर का हो) एवं किसी सरकारी विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र साथ–साथ व्यापार कर आयकर प्रमाण पत्र एंव श्रम विभाग में पंजीयन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5– निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय/अशासकीय अथवा अन्य किसी संस्था से निविदा कार्य हेतु काली सूचीबद्व नही किया गया है।

2– टेक्निकल बिड

6– निविदादाता को उक्त कार्यो से संबंधित अन्य विभागों में कराये गये कार्यो का अनुबंध प्रमाण पत्र व कार्यादेश की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7– निविदादाता को उपरोक्त परियोजना से संबंधित क0सं0 01 के लिए अंकन 17.50 लाख व क0सं0 02 के लिए अंकन 25.00 लाख तक का कार्य विगत तीन वर्षो में पूर्ण कराये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8– निविदादाता को गत वर्षो की बैलेन्ससीट जो चार्टेड एकाउन्टेन्ट/बैंक द्वारा निर्गत की गयी हो संलग्न करना होगा।

9– ISO- 9001–2000 का प्रमाण पत्र रखने वाली फर्मो/कम्पनी को वरीयता दी जायेगी।

10– निविदादाता को 3–5 वर्षो का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रमाणि प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

11– निविदादाता को अपनी फर्म में कार्य करने वालें सामान्य एंव तकनीकी स्टाफ का विवरण शैक्षिक योग्यता सहित तथा तकनीकी उपकरणों से संबंधित अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रतियां निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

12– निविदादाता को उन विभागों की प्रमाणित सूची प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसने निविदा के आधार पर पार्क निर्माण/रख–रखाव संबंधी कार्य किया हो।

3– सामान्य शर्ते :–

13– अनुरक्षण अविध 05 वर्ष की होगी जिसमें यदि ठेकेदार/फार्म कार्य में अन्य कमियों को तीन दिवस के अन्दर ठीक नही करता है तो उस पर अर्थ दण्ड के रूप में कटौती को ओ0एण्ड0एफ0 की लागत से काट ली जायेगी।

14– कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। समय से कार्य पूर्ण न होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

15– पार्क के सौन्दर्यकरण के पश्चात आगामी 05 वर्षो तक पार्क के रख–रखाव का दायित्व भी संबंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा किया जाना होगा। जिसके अनुरक्षण का भुगतान पूर्णतया सन्तोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार किया जायेगा। कमी पाये जाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उस फर्म की जमानत धनराशि जब्त कर ली जाये।

16– कार्यादेश जारी होने पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अमृत योजनान्तर्गत दिये गये विशिषटियों एवं मानक के अनुसार ही ठेकेदार/फर्म को कार्य पूर्ण करना होगा।

17– ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा के आधार पर कराये गये निर्माण में यदि किसी प्रकार की कमी जांच के समय पायी जाती है तो ठेकेदार/फर्म स्वंय उत्तरदायी होगें एंव भुगतान किया जाना संभव नही होगा।

(विनय कुमार मणि त्रिपाठी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत

(के0पी0मलिक)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद बडौत

प्रतिलिपि–निम्न की सेवा मे सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी बागपत।

2–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बागपत।

3–प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कलेक्ट्रेट बागपत।

4–उपजिलाधिकारी बडौत।

5–कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6–nic-in बागपत को इस आशय से कि उपरोक्त निविदा सूचना को वेबसाइट पर डालने का कष्ट करे ।

7–सम्पादक हिन्दुस्तान/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित है कि कम से कम स्पेश मे सरकारी दरो पर छापते हुये अपना बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।